


25.08.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी संप
उपस्थित नहीं। बार-बार अज्ञात लगाने पर भी
उपस्थित हुए। अतः वादी का यह वादपत्र अदम
पैखी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खाटिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील
होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर तुल्य न्यायालय
में सुनाया गया।


(सुनीलकुमार-चौधन)
R.A.S.